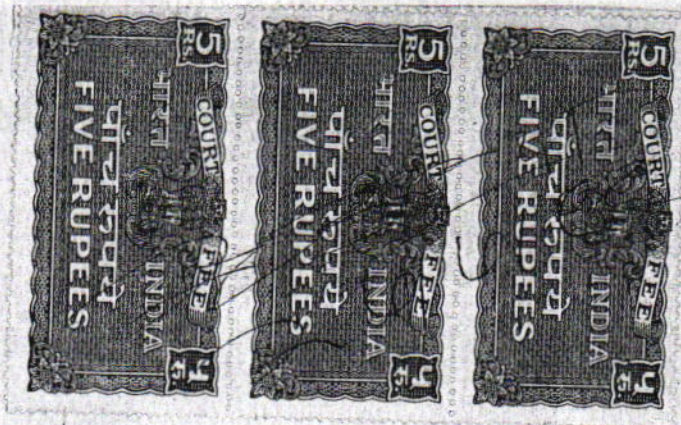

(50)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १९८ निगरानी

१। रामभिलन २। रामाधार
३। रामसजीवन पुत्रगण सम्पतकुमार
सभी निवासीगण ग्राम हिरोल, तहसील
हुजूर, जिला रीवा, म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। रामकुमार पुत्र शिवनन्दनराम
२। मुद्रिकाप्रसाद ३। कमलेशप्रसाद
दोनों पुत्रगण गोविन्दप्रसाद
४। बिनोदकुमार ५। श्यामबिहारी
दोनों नाबालिगान पुत्रगण गोविन्दप्रसाद
वसरपरस्त भाई कमलेशप्रसाद
सभी निवासीगण ग्राम हिरोल, तहसील
हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०
६। रामाधीन पुत्र शिवनन्दन मृत
वारिसान ६-१। रामसुमिरण उर्फ
रामभोला पुत्र अंजनीकुमार
६-२। आत्माराम पुत्र अंजनीकुमार
दोनों निवासीगण ग्राम हिरोल
तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०
७। चन्द्रशेखर पुत्र विश्वनाथ मृत
वारिसान ७-१। प्रभाशंकर
७-२। सुरेशकुमार ७-३। श्रीमती प्रेमवती
बेवा चन्द्रशेखर, सभी निवासीगण
ग्राम हिरोल, तहसील हुजूर, जिला रीवा
म० प्र० --- प्रतिप्रार्थीगण

40/10 98/1463

1463 नि/98

राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

---- २

EXPRESS DELIVERY न्यायालयीन प्रयोजनार्थ

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय रीवा संभाग दिनांक १६-६-८८ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक २०७।८३-८४ निगरानी

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यह कि प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य न था ।

(२) यह कि आयुक्त महोदय ने कलेक्टर महोदय के आदेश को निरस्त करने में कानूनी एवम् तथ्यात्मक भूल की है ।

(३) यह कि आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन किये बिना आदेश पारित करने में भूल की है ।

(४) यह कि प्रकरण में आयुक्त महोदय के समक्ष अपीलान्ट हिरिया बेवा गोविन्दप्रसाद की मृत्यु हो चुकी थी इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये बिना आदेश पारित करने में भूल हुई है ।

(५) यह कि प्रतिप्रार्थी क्रमांक ६ रामाधीन एवम् चन्द्रशेखर की मृत्यु भी हो जाने से उनके विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लाये बिना प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी इस कारण भी आयुक्त महोदय का आदेश निरस्ती योग्य है ।

(६) यह कि अधिकार अभिलेख के सम्बन्ध में प्रकरण इस माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में आया था जिसमें उदघोषणा का प्रकाशन विधिवत होना माना गया है ऐसी स्थिति में जब वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी तथ्य को मान्यता दी जा चुकी है तब उसके विपरीत निर्णय दिये जाने का कोई औचित्य [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1463–तीन/1998 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–8–2016	उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आयुक्त ने अधीनस्थ न्यांयालय के कम्पूर्ण अभिलेख का आलोक किये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की है। आयुक्त द्वारा हिरिया बेवा गोविन्दप्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण विधिक उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अनावेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आयुक्त द्वारा गुण–दोषों पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जहां उभय पक्ष को अपना पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। 3/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त के समक्ष हिरिया बेवा गोविन्दप्रसाद की मृत्यु की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी और न ही उभय पक्ष के द्वारा मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त हिरिया बेवा गोविन्दप्रसाद के विधिक वारिस पुत्र पूर्व से अभिलेख पर मौजूद थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक हिरिया के वारिसों को बिना सुने और रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। जहां तक	

मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है यह आवेदक सहित उभय पक्ष दायित्व होता है कि पक्षकार की मृत्यु की जानकारी न्यायालय के संज्ञान में लाये। इसलिए आवेदक द्वारा उठाये इस तर्क में कोई बल नहीं है कि विधिक वारिसों को बिना रिकार्ड पर लिये आदेश पारित किया गया है। जहां तक गुण–दोष का प्रश्न है अपर आयुक्त ने उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। चूंकि कलेक्टर द्वारा समय बाधित मानकर निरस्त किया था जिसके विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी इसी कारण आयुक्त द्वारा गुण–दोषों पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है, जहां उभय पक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा। कलेक्टर द्वारा प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण न कर तकनिकी आधार पर किया था जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की है। अतः आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–98 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण कलेक्टर को उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देकर गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य